

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023**

In the Court of **श्वेता मिश्रा, J.M.F.C. Dr. Ambedkar Nagar, (M.P.)**
Case No. Sum/ 434 /2026 Complaint or report made on. 25/7/2026
Name and address of the complainant आबकारी वृत्त महु "अ" वि. दिपट्ट

Name, praentage, caste and address of accused
अभियुक्त का नाम— दिपट्ट २/० धनश्याम शर्मा ३५.३५ वर्ष
मि. साई रेसिडेंसी महु इंदौर

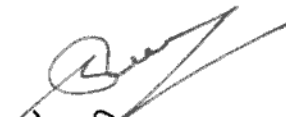
The offence complained of, and date of, its alleged commssion

यह कि आपने दिनांक 03/07/2026 को समय लगभग 1.00 PM बजे, स्थान—

साई रेसिडेंसी महु इंदौर

में 12 पाव देशी मरिचा जेन (2.17 की.) को बिना
अनुज्ञप्ति अपने आधिपत्य में रखी।

इस प्रकार आपने यह अपराध कारित किया जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम,
1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय हैं और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता
हैं। क्या आप अपराध करना स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?


श्वेता मिश्रा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक—

अपराध स्वीकार है.

दीपक


श्वेता मिश्रा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर म.प्र.

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause
(e) clause (f) or clause (g) of Sub-section (i) of Section 283 the
value of the property in respect of which the offence has been
committed.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 12/08/2026 को घोषित)

1- अभियुक्त पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

2- उपरोक्तानुसार अभियुक्त के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर उसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाये जाने से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

3- दण्डादेश पर विचार किया गया दोषी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का अभियोजन नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए एवं दोषी की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए उसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय आरोप हेतु 800/- रुपये (आठ सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास पृथकतः भुगताया जाए।

4- प्रकरण में जप्तशुदा 12 पात्र देशी भाँडिया केन (2.17 ली.) मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाए।

स्थान :- डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर (म.प्र.)
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।


(श्वेता मिश्रा) 12/08/2026
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ.अंबेडकर नगर, जि. इंदौर (म.प्र.)


(श्वेता मिश्रा) 12/08/2026
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ.अंबेडकर नगर, जि. इंदौर (म.प्र.)